


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण  
दिनांक 20.7.2023 को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0  
पीतरीन अधिकारी महेश सिंह (आर0प0परा0)

सूचना नम्बर  
३३३/२०१३

तारीख नाम  
०८ ०८ २०१३  
समयान

तारीख मौसला  
२०/०९/२०१३

०१. रामचन्द्र पुत्र श्री हनुमान

०२. रमतीर

०३. लक्ष्मीर

०४. नरेश पुत्रान रत्न श्री जीसुख

०५. हुक्म पुत्र सम्मान

०६. शिवचरण

०७. महेश पुत्रान रत्न श्री रामसिंह

०८. रमेश

०९. सुरेश पुत्रान श्री भोन्दा जाति मेघवाल गिवासीगण ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

**बनाम**

०१. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दुरुरती इन्द्राज गो हुक्मइम्तनाई दवाभी  
अन्तर्गत धारा ८८, ८९ व १८८ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५

उपस्थित

०१. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म चृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दाद इश्तकारहक मय दुरुरती इन्द्राज गो हुक्मइम्तनाई दवाभी अन्तर्गत धारा ८८, ८९ व १८८ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ प्रस्तुत कर गिवेदन किया है कि साबिक आराजी खरारा नम्बर ५८६ एकवा २३ बीघा व ५५७ एकवा ३ बिरवा वाके ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खरारा नम्बर ४८६ एकवा २३ बीघा ३ बिरवा पैमुद किये गये है। चर्णित आराजी इस दाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खरारा नम्बर ५८६ एकवा २३ बीघा, जिसके हाल आराजी खरारा नम्बर ४८६ एकवा २३ बीघा ३ बिरवा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खरारा नम्बर ५८६ एकवा २ बीघा १८ बिरवा एकवा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या १३८६ दिनांक १६.०८.१९८६ को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, तिजारा द्वारा गिन वादीगण संख्या १ लगायत ५ समभाग १/२ भाग व वादीगण संख्या ६ लगायत ९ समभाग १/२ भाग जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या ३५३ भी गिन

*ah*  
स्पर्खण्ड अधिकारी

संख्या 1 लगायत 5 समभाग 1/2 भाग व वादीगण संख्या 6 लगायत 9 समभाग 1/2 भाग में मंजूर हो गया। उपरोक्त अनुसार खतेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रखा गया। मिन वादी अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल रहा है तथा मौके पर मिन वादी का अपनी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तरण संख्या 330 में पट्टा हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। कारण से उपरोक्त आवंटिगण के नामान्तरण संख्या 353 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया। तत्पश्चात् सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तरण संख्या 330 में आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्ध कर सतेन्द्र पुत्र सिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादी का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है 0 व 486/692 रकबा 0.25 है 0, 486/697 रकबा 0.40 है 0, 486/709 रकबा 0.40 है 0 न किता 4 कुल रकबा 1.05 है 0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले बन्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 2 बीघा 18 बिस्वा के वादीगण संख्या 1 लगायत 5 समभाग 1/2 भाग व वादीगण संख्या 6 लगायत 9 समभाग 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरुस्त कराकर विधि विरुद्ध रिकार्ड से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा जमानि 5.84 है 0 में से 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 1386 व नामान्तरण संख्या 353 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र रामचन्द्र पुत्र हबडू जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, मनोहरलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 — आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

क्र. 2 - काला घाटी, प्रतिवादी को जमिने दिखी हुई वरगी से प्राप्त करने का अधिकारी है।

— जिम्मे वारी

क्र. 3 - काला घाटी का वार कबिले खानिज है।


— जिम्मे प्रतिवादी

क्र. 4 - अनुसूची।

यह कि वार्दानग को जमिने सन्द पट्टा मुने आवंटित की जाकर नामान्तरण संख्या नं. 100 किया। जिसका अमल में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु मन्नीय अतिरिक्त जिला न्होदय के वहा दीनर इतकाल संख्या 330 की अर्थात् होने से व निर्णय होने से जमिने राजस्व से वार्दानग के नाम का अवन हटा दिया गया। नामान्तरण संख्या 330 का कोई संबंध व संस्कार की आगामी से नहीं है एवं ना ही मन्नीय अतिरिक्त जिला कलक्टर न्होदय के निर्णय से व का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हलका की गलती से वार्दानग का अवन सहज से हटा गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधनाशी कथन वार के विमति में नहीं कहा। अनुसूची वार में जारी सन्द पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि अवन प्रभावित नहीं है जिस कारण से वारों का वार दिखी किये जाने योग्य मया जाता है। उनकी पुरतया वारों के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए उनकी संख्या 2 की कोई अनुसूची वार्दानग को नहीं दिया जा सकता।

अतः वारों का वार दिखी किया जाकर वार्दानग को आगामी खसरा नम्बर 436 रकबा 479 है 0 व 692 रकबा 0.25 है, 436/697 रकबा 0.40 है, 436/709 रकबा 0.40 है कुल जित 4 कुल रकबा है, वारों वान हसनपुर नार्थ तहसील विजया जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सन्द पट्टा व नामान्तरण संख्या 363 के अनुसार 2 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार कासतदार घोषित किया जाता। अनुसूची राजस्व रिकार्ड में अमल वसतद किया जावे। पर्या दिखी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

  
(महेंद्र सिंह)  
उपसहायक अधिकारी  
विजया (अलवर) रा. 0

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०**  
**पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)**

मुकदमा नम्बर  
438/2022

तारीख दायर  
09-09-2022

तारीख फैसला  
20/07/2023

**उनवान**

1. रामचन्द्र पुत्र श्री हबडू
2. रगवीर
3. बलबीर
4. नरेश पुत्रान स्व. श्री जीसुख
5. हुकम पुत्र सम्मन
6. शिवचरण
7. महेश पुत्रान स्व. श्री रामसिंह
8. रमेश
9. सुरेश पुत्रान श्री भोन्दा जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

**बनाम**

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज०)

-----:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हुकमइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: पचा डिकी ::—

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है० व 486/692 रकबा 0.25 है०, 486/697 रकबा 0.40 है०, 486/709 रकबा 0.40 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है० वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताविक सनद पट्टा 1386 व नामान्तकरण संख्या 353 के अनुसार 2 वीघा 18 विस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये।